



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24062026-273783
CG-DL-E-24062026-273783

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3159]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 22, 2026/ आषाढ 1, 1948

No. 3159]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 22, 2026/ ASHADHA 1, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जून, 2026

का.आ. 3288(अ).— केंद्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, १९५६ जिसे इसमें इसके (४८ का १९५६) की धारा (पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) ३क की उपधारा (१) के अधिन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. १९६१(अ) तारीख २० अप्रैल २०२६ जो भारत के राजपत्र असाधारण भाग-२, खण्ड-३, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के अकोला जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या १६१ए के ०/०० कि.मी. से ३/१०० कि.मी. (महान-अकोला भाग) तक के भूखंड सेक्शन का बार्शीटाकली बायपास चार लेन पेव्ह शोल्डर निर्माण अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए लोक प्रयोजना के लिए वह अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के आने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा ३ क की उपधारा (३) के अधिन का.आ. १९६१(अ) तारीख २० अप्रैल २०२६ में "दैनिक दिव्य हिंदी" और "सिटी न्यूज सुपरफास्ट" दोनों तारीख "०५/०६/२०२६" में प्रकाशित किया गया था.

जबकी सक्षम प्राधिकारी को धारा ३-ग के तहत दायर आपत्ती प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा ३ घ की उपधारा (१) के अनुसरण में, केंद्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;);

अंतः अब, केंद्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा ३ घ की उपधारा (१) (द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है की उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पुर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा ३ घ की उपधारा (२) के अनुसरण में यह घोषणा करती है उक्त अनुसूची में, कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केंद्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के अकोला जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या १६१ए के कि.मी. ०/०० से कि.मी. ३/१०० (महान-अकोला भाग) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण.

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: अकोला		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: बारशी टाकळी					
गांव का नाम: अशकारीपुर					
1	३७ पैकी	सरकारी	अकृषक	0.0115	अंतर्गत रस्ता 37 Paiki
गांव का नाम: बारशीटाकळी					
2	४५/१/ई	निजी	अकृषक	0.04	मे.जे.एस. कॉटन इंडस्ट्रीज प्रो.प्रा. सुबोध जमनलाल गोयनक 45/1/E
Total				0.0515	

[फा.सं. RO/MUM/NH(O)/2023-24/72/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th June, 2026

S.O. 3288(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, Department of Road Transport and Highways number **S.O.1961 (E) dated 20 April 2026** and number published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for **(Barshitakli Bypass Four Lane with paved shoulder), maintenance, management and operation of National Highway No. 161A at Barshitakli in the stretch of land from km. 0/00 to 3/100 (Mahan-Akola section) in the district of Akola in the state of Maharashtra.**

And whereas the substance of the said notification **S.O.1961 (E) dated 20 April 2026** has been published in “**Dainik Divya Hindi**” And “**City News Superfast**” both dated **05/06/2026** ; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from Km. 0/00 to Km. 3/100 (Section Akola- Mahan) on the National Highway No. 161A in the State of Maharashtra.

State: MAHARASHTRA			District: AKOLA		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Barshitakli					
Village: Ashkaripur					
1	37 Paiki	Government	Non Agriculture	0.0115	Road under Layout 37 Paiki
Village: BarshiTalkli					
2	45 /1/ E	Private	Non Agriculture	0.04	M/s J.S. Cotton Industries (Prop. Subodh Jamanlal Goenka) 45 /1/ E
Total				0.0515	

[F. No. RO/MUM/NH(O)/2023-24/72/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director